कार्यालय उप जिला कलेक्टर (प्राधिकृत अधिकारी) अलवर

क्रमांक/राजस्व/99/ दिनांक:-

आ दे श

===========

यतः माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल रिट पिटीशन संख्या 337/95 मे पारित निर्णय दिनांक 22.8.97 के अनुसरण मे जिला अलवर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का एव राष्ट्रीय अभयारण्य सरिस्का के क्षेत्र मे बसें हुये निवासीयों के दावों एवअधिकारो का निर्धारण किया जाना हैं।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 की उप धारा 1 के अधीन प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, राजस्व (ग्रुप-8) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ।।(22)राज-8/78/ दिनांक 27.8.1982 के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का के नाम से उद्घोषित राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा जारी की गई। उक्त अधिसूचना के अंतर्गत उक्त उद्यान की निम्न प्रकार से सीमायें निर्धारित की गई।

उत्तर:- बांरा नाहरखोरा जंगली नलदेश्वर, धमोडी, भूर्तहरी, करनाकाबास सरिस्का, रेकामाला, दुहारमाला, तालवृक्ष।

पूर्व :- नाडू, जगल बोरेठा की पहाडी, देवरी आरक्षित वन खण्ड, सीलीबेरी आरक्षित वन खण्ड, नाहरसत्ती, पृथ्वीपुरा, की पहाडी रक्षित वन बांरा

पश्चिम:- तालवृक्ष, पहाडी, रेकामाला, तालगेट उदयनाथ

दक्षिण :- उदयनाथ, कान्यावास ग्राम जगल भगानी, भगानी से काली धाटी सडक, नाडू वन खण्ड

उक्त अधिसूचना दिनांक 27.8.82 के अनुसंरण मे जिला कलेक्टर द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 21 मे प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त क्षेत्र मे बसे हुये व्यक्तियों के अधिकार/क्लेम का निर्धारण करने के लियें घोषणा पत्र संख्या क्रमांक 39-2(1) राज-72/पार्ट2/4999 दिनांक 27.9.82 तथा घोषणा पत्र क्रमांक 39-2(1) राज-72 पार्ट 2/1272 दिनांक 27.1.83 को घोषणा पत्र जारी किया गया। उक्त राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं का स्पष्टीकरण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ।।(22)राज/8/78/ दिनांक 29.5.85 को जारी किया गया।

336

उत्तर:- बांरा (पूर्वीपुरा अवगीकृत वन खण्ड कम्पाटमेन्ट नं. 1 व 2 की उत्तरी सीमा) नाहरखारा जंगल(माधोगढ वन खण्ड रक्षित के कम्पाटमेन्ट नं. 1-2 की उत्तरी सीमा (नलदेश्वर कुशालगढ आरक्षित वन खण्ड कम्पाटमेन्ट नं. 1 व 2 की/उत्तरी सीमा (धमोडी) पूर्व इन्दोक वन खण्ड आरक्षित के कम्पाटमेन्ट नं. 2 की उत्तरी सीमा (भृर्तहरी) पूर्वी इन्दोक वन खण्ड आरक्षित के कम्पाटमेन्ट नं. 4 व 5 की उत्तरी सीमा (करनाकाबास सरिस्का)कालीधाटी वन खण्ड आरक्षित के कम्पाटमेन्ट नं. 9-8 की उत्तर पूर्व सीमा कम्पाटमेन्ट नं. 7 की पूर्वी सीमा, इन्दोक पश्चिमी वन खण्ड आरक्षित के कम्पाटमेन्ट नं. 1 व 4 की पूर्वी सीमा (दुहारमाला) दुहारमाला वन खण्ड आरक्षित के कम्पाटमेन्ट नं. 4 की पूर्वी सीमा कम्पाटमेन्ट नं. 3 की पूर्वी सीमा होते हुये (रेकामाला (रेकामाला) आरक्षित वन खण्ड के कम्पाटमेन्ट नं. 4-3 व 2 की पूर्वी सीमा) तालवृक्ष) बनी तालवृक्ष तक तालवृक्ष मे मन्दिर व वन को बाहर करते हुये

पश्चिमी:- तालवृक्ष (बनी तालवृक्ष की दक्षिण सीमा) पहाडी रेकामाला (रेकामाला) वन खण्ड आरक्षित की पश्चिमी सीमा व दुहारमाला आरक्षित कम्पाटमेन्ट नं. 4 की पश्चिमी सीमा, दुहारमाला वनखण्ड वन खण्ड/के इन्टरवन डिमारकेशन लाईन (होते हुए दुहारमाला वन खण्ड के कम्पाटमेन्ट नं. 1 का पूर्वी पानीढाल को शामिल करते हुये/तालगेट (कालीधाटी वन खण्ड आरक्षित के कम्पाटमेन्ट नं. 5 की पश्चिमी सीमा व कालीधाटी कम्पाटमेन्ट नं. 4-3 व 2 की पश्चिमी सीमा (उदयनाथ कालीधाटी वन खण्ड आरक्षित के कम्पाटमेन्ट नं. 43 की दक्षिणी व पश्चिमी सीमा 42 की पश्चिमी सीमा व काकवाडी वन खण्ड आरक्षित के कम्पाटमेन्ट नं. 14 की पश्चिमी सीमा)

दक्षिण:- उदयनाथ (काकवाडी वन खण्ड आरक्षित के क0 कम्पाटमेन्ट नं. 14 के (दक्षिण पूर्वी सीमा)(कान्यावास ग्राम) कान्यावास वन खण्ड रक्षित की उत्तरी पश्चिमी सीमा) जंगल भगानी काकवाडी वन खण्ड आरक्षित के कम्पाटमेन्ट नं. 9 के दक्षिणी पश्चिमी सीमा टहला वन खण्ड के/कम्पाटमेन्ट नं 2, 4 की पश्चिमी सीमा कम्पाटमेन्ट नं. 6 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा 7 की दक्षिणी सीमा भगानी से कालीधाटी सडक टहला वनखण्ड

—3

Scanned by CamScanner

...के कम्पाटमेन्ट नं. 9व10 की दक्षिणी सीमा§ नाडू वन खण्ड नाडू खण्ड आरक्षित के कम्पाटमेन्ट नं. 2,7,8,9,10 की दक्षिणी सीमा ... व 15 की पश्चिमी सीमा व 16 की दक्षिणी सीमा§

नाडू जगल §नाडू आरक्षित वन खण्ड के कम्पाटमेन्ट नं. 16 की पूर्वी सीमा§ बोरेठा की पहाडी§ उमरीदेवरी आरक्षित वन खण्ड कम्पाटमेन्ट नं. 17,16 व 15,14 की पूर्वी सीमा§देवरी आरक्षित वन खण्ड§ देवरी आरक्षित वन खण्ड कम्पाटमेन्ट नं. 11 व 9 की पूर्वी सीमा (सीलीबेरी आरक्षित वन खण्ड) सीलीबेरी आरक्षित वन खण्ड कम्पाटमेन्ट नं. 1 की पूर्वी सेम सीमा § नाहरसत्ती§ सी लीबेरी कम्पाटमेन्ट नं. 24 व 25 एव 28 की पूर्वी सीमा§ (पृथ्वीपुरा पहाडी रक्षित वन खण्ड) §पृ० पृथ्वीपुरा आ रक्षित वन खण्ड कम्पाटमेन्ट नं. 3 की पूर्वी सीमा§ पृथ्वीपुरा अवर्गीकृत)की पूर्वी सीमा बांरा §बांरा बियर तक§

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 §1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53 के तहत राज्य सरकार राजस्व ग्रुप-8 विभाग द्वारा विज्ञप्ति संख्या एफ-11§22§राज/ग्रुप-8/78 पार्ट§1§दिनांक 4.8.83 के द्वारा उप जिला ... कलेक्टर अलवर §अधोहस्ताक्षरकर्ता§ को जिला कलेक्टर की शक्तियाँ प्रदत्त की गई। उप जिला कलेक्टर अलवर §भूमि अर्जन अधिकारी§ द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 19 व 21 से 25 के अतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुयें राष्ट्रीय उधान सरिस्का के अंतर्गत बसे हयु नागरिको के दावों की सुनवाई की गई तथा दिनांक 24.6.85 को आदेश पारित कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 24 व एव 25 के अतर्गत अवार्ड जारी किया गया। उक्त अवार्ड के तहत 19 क्लेम राष्ट्रीय उधान की सीमा में नही आने के कारण खारिज किये गये तथा सरिस्का पेलेन्स क्लेम को लम्बित रखते हुयें 8 दावों का जो निजी खातेदारी भूमि से सम्बंधित थे का मुआवजा निर्धारित किया गया तथा ग्राम काकवाडी, पिलापानी, किला ... नीचा व उडाहट तहसील राजगढ के ग्राम वासियो द्वारा जो क्लेम प्रस्तुत किये गये वे निर्धारित प्रपत्र मे नही होने एव जंगलात की भूमियो पर अतिक्रमण किया हुआ होने पर ... इन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नही दिया जाकर इनके ... दिक्लेमो को अस्वीकार किया गया। ग्राम वासीयान कान्यावास के द्वारा राजस्व एवं

37

...चित विशेष की भूमि का स्पष्ट विवरण नही : दिये जाने के कारण
...र्थना पत्र में कोई बल नही होने के फलस्वरूप क्लेम अस्वीकार किये गयें
...स प्रकार उप खण्ड अधिकारी अलवर (अधोहस्ताक्षरकर्ता) द्वारा वन्य जीव
संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 19 व 21 से 25 तक की कार्यवाही
...सम्पन्न की गई । और इनके अलावा अन्य कोई क्लेम एव अधिकारों के
...लिये मांग पत्र प्रस्तुत नही हुआ।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानो के तहत राष्ट्रीय
...उद्यान सरिस्का क्षेत्र के लिये निम्न प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं ।

1. लोक सेवक राजकीय दायित्वों के निर्वहन में प्रवेश कर सकेगें ।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रवेश की अनुमति प्राप्त करके ही प्रवेश कर सकेगें ।
3. राष्ट्रीय उधान क्षेत्र में दिनांक 27.8.1982 से पूर्व के विधमान रास्तें के अधिकार जो राजस्व अभिलेखो में अंकित है यथावत रहेगें ।
4. धार्मिक स्थल, पीने के पानी के स्थलो पर दिनांक 27.8.1982 के पूर्व के विधमान अधिकार जो राजस्व अभिलेखो मे अंकित है वे यथावत रहेगें ।
5. सरिस्का पेलेन्स के स्वामित्व के संबंध मे न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नं0 2 अलवर के समक्ष वाद सं0 127/85 अनुवान राजस्थान सरकार बनाम शिडवा ट्रिडल विचाराधीन है जिसमें स्वामित्व का प्रश्न निहित होने के कारण क्लेम को लम्बित रखा गया ।

उक्त अधिकारों के अतिरिक्त राष्ट्रीय उधान सरिस्का क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो प्रतिबंध राज्य सरकार द्वारा लगाये गये है वे यथावत लागू रहेगें ।

उक्त आदेश राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26 के तहत जारी अधिसूचना एफ11(22)राज/गुप-8/78/पीटी/1 दिनांक 4.8.1983 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक हस्ताक्षर एव मोहर अदालत से जारी किया गया ।

(हस्ताक्षर)

उप जिला कलेक्टर
अलवर
(प्राधिकृत अधिकारी)

Scanned by CamScanner